



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/ MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,

अंधेरी पूर्व, मुंबई/ 096 400 - ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

टेली/Tel: 022-28294756 / 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,

ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in



फा/एसी/न्यूसेज़/सीपज़.सं.181/2015-16-वॉल्यू/XI / 19140

दिनांक 30.9. 2019

विषय:- पुणे क्लस्टर की यूनिट अनुमोदन समिति की दिनांक 18.10.2019 को बैठक का आयोजन।

महोदय / महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले निर्यातोन्मुख यूनिटों तथा पुणे क्लस्टर के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से कार्यालय संयुक्त विकास आयुक्त, प्लॉट नं. 6/1, सेज़ भवन, एमआइडीसी, फेज़-III, हिंजेवाडी, पुणे में आयोजित की जाएगी। यूएसी के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए जाने का अंतिम दिनांक 09.10.2019 दिन शुक्रवार है। उक्त बैठक की कार्यसूची को दिनांक 14.10.2019 तक अंतिम रूप दिया जाएगा तथा इसे वेबसाइट www.seepz.gov.in पर दिनांक 16.10.2019 को अपलोड किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय

(हरीश चौधरी)

सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़सेज़-

प्रति,

1. श्री सेंथिल नाथन, उप सचिव (आइएफ-1), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवाएं विभाग, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 / 19140
2. सभी सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)
3. सभी विकासक/यूनिट, पुणे समूह (क्लस्टर)
4. आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए